न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रथम, आर.ए.एस.

2024-255 RAAJodhpur2024-96 RTA223 Jaikishan ors Vs Mangilal etc

1. जयकिशन बिश्नोई पुत्र श्री घीसाराम
2. जोराराम पुत्र श्री घीसाराम के कायम मुकामः–
   - 2.1. लीला देवी पत्नी श्री जोराराम
   - 2.2. मनोज पुत्र श्री जोराराम
   - 2.3. दिनेश पुत्र श्री जोराराम
   - 2.4. महेन्द्र पुत्र श्री जोराराम
   - 2.5. संजय पुत्र श्री जोराराम (नाबालिग जरिये माता अपीलार्थी संख्या 2/1)

   सभी जातियान् बिश्नोई, निवासीगण– विष्णुनगर(हडेलाव की ढाणी) तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर ग्रामीण।
3. पुष्पादेवी पुत्री श्री घीसाराम एवं पत्नी श्री महिराम, जाति– बिश्नोई, निवासी– मकान नंबर 270–बी, जेड.एस.ए., बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर।

—— अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. मांगीलाल बिश्नोई पुत्र श्री घीसाराम,
2. बाबुलाल पुत्र श्री घीसाराम

   दोनो जातियान् बिश्नोई, निवासीगण– विष्णुनगर(हडेलाव की ढाणी) तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर ग्रामीण।
3. ओमीदेवी पुत्री श्री घीसाराम एवं पत्नी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रावलराम, जाति बिश्नोई, निवासी– विष्णुढाणी, खेड़ीसालवां, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर ग्रामीण।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

—— रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर द्वारा दिनांक 28.06.2024 राजस्व मूल वाद संख्या 78/2024 जयकिशन बनाम मांगीलाल इत्यादि

—— 0 ——

उपस्थित –

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री दीपक चौहान, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 3

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 30 सितंबर 2024

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 78/2024 अनवान जयकिशन बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 28 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 09 जुलाई 2024 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 361/1, 372/1 व 386 ग्राम विष्णुनगर तहसील पीपाड़ शहर के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वक्त प्रस्तुति ही वाद पत्रावली को न्यायालय में समान इस्तुआ एवं समान पक्षकारान् विचाराधीन अन्य वाद पत्रावली संख्या 77/2024 के साथ संयोजित करने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 जून 2024 पारित कर वाद पत्रावली को फैसल कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात उभय पक्ष एवं उनके अधिवक्तागण द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा तस्दीक करने एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पारिवारिक प्रबंधन का इकरारनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने बाबत पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने अपनी संयुक्त बहस में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों के बीच में न्यायालय के बाहर बूढे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बुजुर्गो व गांव के मौजिज व्यक्तियों की समझाईश से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। पक्षकारों के मध्य अब किसी प्रकार का मन मुटाव या द्वेष की भावना नहीं है। राजीनामा के साथ प्रस्तुत पारिवारिक प्रबंधन के इकरारनामा के अनुसार पक्षकार मौके पर काबिज हो गये है।

अंत में उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार फरमाया जावे एवं राजीनामा अनुसार मामले को निर्णित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण का कथन है कि उभय पक्ष में आपसी समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। पक्षकारान् वादग्रस्त आराजीयात पर राजीनामा के साथ प्रस्तुत पारिवारिक प्रबंधन के इकारानामे अनुसार काबिज काश्त है तथा उभय पक्ष में वर्तमान में किसी प्रकार विवाद नहीं है।

अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय की एकरूपता एवं वाद की बहुलता को रोकने के लिए अपीलाधीन वाद की पत्रावली को विचारण न्यायालय में अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी के संबंध में समान पक्षकारान् के मध्य विचाराधीन अन्य वाद पत्रावली संख्या 77/2024 के साथ संयोजित किये जाने का निर्णय पारित किया है। इस संबंध में उभय पक्ष यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन उक्त वाद में भी उभय पक्ष में राजीनामा हो चुका है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत राजीनामा को अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हाजा के स्तर पर बाद तस्दीक स्वीकार नहीं किया जाकर मूल राजीनामा मय पारिवारिक प्रबंधन इकरारनामा विचारण न्यायालय को प्रेषित कर उक्त राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में विधिनुसार निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित रहेगा।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स प्रस्तुत राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा मूल राजीनामा मय पारिवारिक प्रबंधन इकरारनामा विचारण न्यायालय को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह मूल राजीनामा को बाद तस्दीक अपने यहां विचाराधीन वाद का नियमानुसार निस्तारण करे।

राजीनामा एवं पारिवारिक प्रबंधन इकरारनामा की नकल अपील पत्रावली में रखी जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई–प्रथम)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर